कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
ई–मेल : mpugpgcounselling@gmail.com दूरभाष क्र. 0755–2557855
वेबसाईटः www.medicaleducation.mp.gov.in फैक्स : 0755–

Dated 25.07.2023

स्कालरशिप के संबंध में महत्तपूर्ण सूचना

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त नीट यू0जी0 काउंसिलिंग 2023–24

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अशासकीय संस्थाओं में पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु अभ्यर्थी एवं अविभावक की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय सीमा रू0 6 लाख से बढ़ाकर रू0 8 लाख की गई है जो कि सत्र 2023 से मान्य होगी। शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में आय सीमा का बंधन नहीं है।

25/7/23
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दि. 15 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 4/3/22/0001/2023/63-5: राज्य शासन एतद द्वारा भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीन दिशा निर्देश वर्ष 2021 की कंडिका 5.3 में निर्धारित वार्षिक आय सीमा रू. 2.50 लाख के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मद अंतर्गत निर्धारित आय सीमा रू. 6.00 लाख से बढ़ाकर विद्यार्थी एवं अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से आय राशि रू. 8.00 लाख वार्षिक पुनर्निधारित करता है। यह आय सीमा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थीयों पर लागू होगी एवं शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं में पूर्व से ही आय सीमा का बंधन नहीं है।

2. आय सीमा वृद्धि से होने वाला समस्त व्यय का भुगतान राज्य मद से किया जायेगा।

3. आय सीमा में वृद्धि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से मान्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सचिन्द्र राव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

पृ.क्र. एफ 4/3/22/0001/2023/63-5
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दि. 15 अप्रैल 2023

1. निज सचिव, मा. मंत्री, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, आयुष विभाग, भोपाल
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन

जनजातीय कार्य विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 12-15/2013/25-2/449 भोपाल,दिनांक 21/06/23

प्रति,

आयुक्त

जनजातीय कार्य,

म0प्र0भोपाल।

विषयः-अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा रूपये 6.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 8.00 लाख करने बावत्।

अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा रूपये 6.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 8.00 लाख किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछडे वर्गो का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 0103 अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम)-9943-11वीं,12 वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृति मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 21 दिनांक 14 जून 2023 द्वारा दिये गये अनुमोदन के तहत जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,

तथा आदेशानुसार

21/6/2023

(राजेश सिंह कौरव)

वित्तीय सलाहकार

मध्यप्रदेश शासन

जनजातीय कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 12-15/2013/25-2/450 भोपाल,दिनांक 21/06/2023

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग ।

-2-

FAS/PAITHANKAR

5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म.प्र. ग्वालियर।
6. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल।
7. वित्तीय सलाहकार, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
8. आईटी शाखा प्रभारी, कायार्लय आयुक्त जनजातीय कार्य की ओर विभागीय बेव-सा पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग